न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी :: नमित मेहता, आई.ए.एस

विविध :: 14/2024
जीसीएमएस नम्बर :: 2024/72

प्रार्थी :-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
बैंक ऑफ बडौदा शाखा कार्यालय-आर0सी0 व्यास, भीलवाड़ा। जरिये प्राधिकृत अधिकारी-शम्भु सिंह नरूका।		1- मैसर्स सिम्ना एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस पता-एस-15, शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, रिको द्वितीय चौराहा, भीलवाड़ा, जिला भीलवाड़ा। 2- जफर अनी पुत्र स्व0 इक्तियार अली काजी पता-ग्राम बेरा, एन.एच.-79, माण्डल, जिला भीलवाड़ा। 3- इम्तियाज अली काजी पुत्र मुख्तयार अली काजी पता-एल.आई.जी. प्लाट नं0 ए-13 एवं एल-13, भोपालपुरा रोड, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा। 4- मुख्तयार अली काजी पुत्र रूस्तम अली काजी पता-एल.आई.जी. प्लाट नं0 ए-13 एवं एल-13, भोपालपुरा रोड, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा वगैरह।

<u>प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट, 2002</u>

दिनांकः- 02-05-2024

1. प्राधिकृत अधिकारी, **बैंक ऑफ बडौदा, भीलवाड़ा** द्वारा वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 SARFAESI Act 2002 की धारा-14 के तहत यह प्रार्थना-पत्र जरिये **अधिवक्ता श्री भानु प्रकाश मिश्रा ने मैसर्स सिम्ना एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निदेशक जफर अनी वगैरह** के विरूद्ध प्रस्तुत कर, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऋण के समय रखी गयी गिरवी सम्पत्ति का कब्जा लेने हेतु इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

2. कम्पनी के उपस्थित अधिवक्ता/प्रतिनिधि ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह बताया कि अप्रार्थी/ऋणी को बैक/कम्पनी द्वारा **नकद साख रू0 90,00,000/- (रूपये नब्बे लाख) एवं टर्म लोन रू0 27,00,000/- (रूपये सत्ताइस लाख) का ऋण दिनांक 25.08.2022** को स्वीकृत किया गया। इस ऋण की एवज में निम्न जायदाद/सम्पत्ति बैंक के पास गिरवी रखी गयी है जिसका विवरण निम्नानुसार है -

1.	**मैसर्स सिम्ना इक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की औद्योगिक सम्पत्ति प्लाट आराजी नं. 1940, 1941, 1942, बेरा चौराहा के पास, बेलेसरिया रोड, ग्राम बेरा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा(राज0) में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2530 वर्ग मीटर, जिसकी सीमाएं-पूर्व में कृषि भूमि, पश्चिम में कृषि भूमि, उत्तर में बेलेसरिया रोड, दक्षिण में कृषि भूमि।**

3. चूंकि ऋणी फलस्वरूप अप्रार्थी **मैसर्स सिम्ना एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निदेशक जफर अनी वगैरह** के द्वारा बैंक/कम्पनी से प्राप्त किये गये ऋण के पेटे प्रार्थी के पक्ष में ऋणी एवं जमानतियों द्वारा गारंटी, करार एवं दस्तावेजो पर अपने हस्ताक्षर कर इसे निष्पादित कर दिये गये थे, परन्तु उक्त ऋणी द्वारा बैंक से प्राप्त की गयी ऋण राशि का भुगतान नहीं किये जाने से ऋणी के ऋण खाते को दिनांक 30.06.2023 को एन.पी.ए. (Non Performing Asset) घोषित किया गया।

4. फलस्वरूप अप्रार्थी **मैसर्स सिम्ना एक्जिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निदेशक जफर अनी वगैरह** के द्वारा SARFAESI Act के तहत ऋण राशि मय ब्याज **1,20,99,319.91/- (एक करोड बीस लाख निन्यानवे हजार तीन सौ उन्नीस रूपये इकरानवे पैसे) (नकद साख रू0 95,28,847.82/- एवं टर्म लोन रू0 25,70,472.09/-)** दिनांक 12.08.2023 तक ब्याज शामिल करते हुए भुगतान हेतु बकाया है। SARFAESI Act की धारा 13(2) के तहत बकाया भुगतान करने हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 17.08.2023 को भेजा गया, इसके बाद भी अप्रार्थी ने देय राशि का भुगतान कंपनी को नहीं किया।

जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

Scanned with ACE Scanner